एनएस-एमआईएससी0 ओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

दिनांकः 10.03.2025

2025 की एडवाइजरी संख्या 03

विषयः- प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम के नियम 10 के अनुसार नियतकालिक पत्रिकाओं की प्रतियों की डिलीवरी – प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं का इलैक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करने के संबंध में।

कृपया प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियमावली, 2024 के नियम 10 (1) की ओर ध्यान दें, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रकाशक समाचारपत्र के प्रकाशन के 48 घंटों के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचारपत्र का इलैक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करेगें और नियम 10(2) के अनुसार राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में प्रकाशकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक, पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रकाशित सभी दिनों की भौतिक प्रतियां उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में पहुंचानी होगी जिसमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

उपर्युक्त नियम 10 के मद्देनजर, नियतकालिक पत्रिकाओं के इलैक्ट्रॉनिक संस्करण को अपलोड करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर नई कार्यक्षमता विकसित की गई है। तद्नुसार, प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर **रैगुलरीटी टैब** पर क्लिक करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे मास्टहेड के साथ समाचारपत्र/नियतकालिक पत्रिका के प्रथम पृष्ठ को (पीडीएफ/जेपीईजी फॉर्मेट में) अपलोड करें। इसके अलावा, प्रकाशकों को यह सलाह दी जाती है कि **प्रत्येक माह की 5 तारीख** तक, पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रकाशित सभी दिनों की भौतिक प्रतियां उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में पहुंचानी होगी जिसमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, **पीआरपी अधिनियम, 2023 की धारा 7(6)** के अनुसार, नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करेगा। यदि प्रकाशक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले माह की समाप्ति के 12 माह के भीतर

नियतकालिक पत्रिका को प्रकाशित करने में असफल रहते हैं, तो प्रेस महापंजीयक पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकते हैं और शीर्षक वापिस ले सकते हैं।

अतः प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत अपनी नियतकालिक पत्रिका का पंजीकरण कराने वाले प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के माह की समाप्ति से 12 माह की अवधि के भीतर अपनी नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करें तथा उनसे अनुरोध है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल पर अपनी नियतकालिक पत्रिका की **पहली प्रति** (खंड-1, अंक-1, मास्टहेड के साथ पहला पृष्ठ) **अपलोड** करें।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक